further policy reforms to be undertaken to create suitable conditions for higher Japanese investment in India;

(b) if so, what are the details of these suggestions, conditions or request made by the Japanese economic mission; and

(c) whether Government has accepted these conditions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESH WAR THAKUR): (a) and (b) A high-level Japanese Mission led by Dr. Rokuro Ishikawa, Chairman of the Japan and Tokyo Chambers of Commerce and Industry, comprising 65 business delegates from Japan, 26 resident Japanese businessmen and 6 Japanese government officials visited India from the 27th to 31st January, 1992.

In the interaction during the visit, wide ranging issues were discussed, including promotion of foreign investment into India, trade reforms, financial policies and other areas of mutual interest, wherever necessary Government sought to clarify any doubts or queries in the Japanese delegation relating to our new economic policies.

(c) Does not arise.

Fraud cases relating to income tax refunds

150. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a large number of cases of fraud relating to income tax refunds have been discovered by Government recently;

(b) whether it is a fact that these frauds involved many officials of the Reserve Bank of India and the Income Tax Department as well as some lawyers acting as advisers; and

(c) if so, what is the amount involved in the fraud and what action has been taken against those found guilty?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) In January, 1992 some cases of fraud relating to income-tax refunds came to the notice of the Reserve Bank of India and the Income Tax Department. These frauds involved some officials of the Reserve Bank of India as well as the Income-tax Department and one outsider who have been arrested by the police.

The enquiries are in progress and so far the enquiries show that refunds amounting to about Rs. 6 lakhs have been fraudulently encashed.

The police have arrested some persons including some officials of the Reserve Bank of India and one official of the Income Tax Department who has been suspended. Investigations are still in progress.

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में सहायता

151. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में इन उद्देश्यों को कहां तक पूरा कर लिया गया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के उन रुग्ण उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सहायता प्राप्त की है और ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें सहायता देने पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन, रुग्ण और सम्भावित रुग्ण कम्पनियों वाले औद्योगिक उपक्रमों का समय पर पता लगाने, ऐसी कंपनियों के लिए विशेषज्ञों के बोर्ड द्वारा शीघ्र अपेक्षित निवारक, सुधारक, उपचारी और अन्य उपाय करने और इस प्रकार निर्धारित उपायों और उनसे संबंधित मामलों को लागू करने के लिए किया गया था।

(ख) और (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि उसके पास दर्ज उत्तर प्रदेश की 85 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों में से 16 मामलों में रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 की धारा 18 (क) के तहत योनजाओं को मंजूरी दे दी गई हैं और धारा 17 (2) के तहत 2 मामलों में कम्पनियों की योनजाओं को मंजूरी दे दी गई है। 6

मामलों में योजनाओं के मसौदे विचारार्थ हैं जबकि 25 मामले जांच प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। योजना के तहत औद्योगिक कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए राहत/रियायत/सहायता बैंकों, संस्थाओं, केन्द्र तथा राज्य सरकारों आदि द्वारा दी जाती है और बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराता है।

कालेधन की समाप्ति के लिये योजनाएं

152. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कालेधन का पता लगाने के लिये बनाई गई सभी योजनाएं विफल रही हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कालेधन का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई और उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान कालेधन की कितनी राशि का पता लगाया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। काले धन का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक निक्षेप) स्कीम, 1991 के नाम से एक योजना, स्वैच्छिक निक्षेप (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 (1991 का 47) के तहत गत वर्ष पहली अक्तूबर, 1991 को शुरू की गई थी जिसे 31 जनवरी, 1992 को बंद कर दिया गया है। बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, योजना के तहत एकत्रित जमा राशियां 105.26 करोड़ रुपए (अंतिम) हैं। इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान, एक "सर्वक्षमा योजना" (अमैनिस्टि स्कीम) लागू थी, जिसके तहत आयकर निर्धारितियों को आयकर अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत अपनी आय तथा अग्रिम कर अनुमानों की वार्षिक विवरणियों में सही आय को घोषित कर ब्याज की माफी तथा दण्ड न दिए जाने के लाभ का अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि उस "सर्वक्षमा योजना" में एक अलग विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं था, इसलिए आय को घोषित रकम के बारे में आंकड़े तैयार करना सम्भव नहीं है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन पकड़े गये व्यक्ति

153. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 18 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा को गैर-कानूनी रूप से देश से बाहर भेजने के आरोप में 11 व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) 16 करोड़ रु० की राशि के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन में लिप्त ग्यारह व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी आदेश जारी किए गए थे। चूंकि आदेश समय पर लागू नहीं किए गए अतः नजरबन्दी आदेश संबंधित व्यक्तियों को तामील नहीं किए गए थे और कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया किन्तु वर्ष 1986 में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियां आरम्भ की गईं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी

154. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में राज्यवार धोखाधड़ी के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ख) उससे राज्यवार कितनी हानि हुई;

(ग) कितने बैंक अधिकारियों को इन धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त पाया गया; और

(घ) बैंकों में धोखाधड़ी को होने से रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विद्यमान प्रबंध सूचना प्रणाली से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार बैंक धोखाधड़ियों की सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, वर्ष 1990 और 1991 (जून तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई जानकारी के अनुसार भारत में धोखाधड़ी के क्रमशः 1614 और 757 मामले थे।

(ग) वर्ष 1990 के दौरान 82 कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया, 738 कर्मचारियों को धोखाधड़ी में लिप्त